न्यायालय, उप समाहर्ता, भूमि सुधार, सदर मेदिनीनगर।

(47)

दाखिल–खारीज अपील वाद संख्या– $\frac{XV}{18}$ /2014–15

खैरून बीबी –अपीलार्थी

बनाम

अली मोहम्मद अंसारी –विपक्षी

आदेश

04-05-16 यह दाखिल–खारीज अपील वाद विद्वान अंचल आधेकारी, पांकी द्वारा दाखिल–खारीज वाद संख्या–328/2014–15 में दिनांक 06.09.2014 को ग्राम–पांकी जोलहबिगहा, थाना–पांकी, जिला–पलामू के खाता न0–83, प्लॉट न0–2115, रकबा–0.03 एकड़ भूमि की विपक्षी के नाम से पारित दाखिल–खारीज आदेश के विरूद्व दायर किया गया है। अपील अंगीकृत करते हुए विपक्षी को सूचना निर्गत की गयी तथा निम्न न्यायालय का मूल अभिलेख की मांग की गयी। निम्न न्यायालय का मूल अभिलेख प्राप्त हुआ।

दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा उनके द्वारा दाखिल लिखित बहस का अवलोकन किया।

अपीलार्थी का दावा है कि ग्राम+थाना–पांकी के खाता न0–83, प्लॉट न0–2115, कुल रकबा–0.61$\frac{1}{3}$ एकड़ भूमि स्व0 रियासत मियां के नाम से खतियानी रैयती दर्ज है। इन्होंने अपने जीवन काल में प्लॉट न0–2115, रकबा–0.06 एकड़ भूमि अपनी बेटी (अपीलार्थी) खैरून बीबी पति–रउफ अंसारी को मौखिक रूप से घर बनाकर रहने के लिए दे दिया, जिसपर अपीलार्थी घर बनाकर अपने पति के साथ 25 वर्षो से रहते आ रही है। खतियानी रैयत की मृत्यु के बाद उक्त सभी भूमि का उतराधिकार द्वारा दाखिल–खारीज होकर अपीलार्थी सहित खतियानी रैयत स्व0 रियासत मियां की पत्नी एवं उनके सभी पुत्र–पुत्री के नाम जमाबंदी चल रही है, जिसके विरूद्ध किसी व्यक्ति ने आज तक सक्षम न्यायालय में कोई अपील दायर नहीं किया और आज तक

(57)

अपीलार्थी सहित संयुक्त जमाबंदी चल रही है। खतियानी रैयत की मृत्यु के बाद उसके उतराधिकारियों के बीच भूमि का बंटवारा नहीं हुआ है और इस भूमि में रियासत मियां के उतराधिकारियों में से एक अपीलार्थी का घर मकान हैं ऐसी स्थिति में भूमि का बिना बंटवारा किये संयुक्त भूमि से भूमि का बिक्री करना सरासर गलत एवं नाजायज है। अपीलार्थी का दावा है कि अंचल अधिकारी, पांकी ने स्वयं बिना स्थलीय जांच किये अपीलार्थी के आपति एवं अनुरोध की अनसुनी कर हल्का कर्मचारी द्वारा दखल–कब्जा सम्बंधी समर्पित प्रतिवेदन पर ही दाखिल–खारीज कर दिया है, जबकि हल्का कर्मचारी ने विपक्षी के मेल में आकर अपीलार्थी के पुराना घर को विपक्षी का घर बतलाते हुए विपक्षी का गलत दखल–कब्जा का होना प्रतिवेदित किया है। अतएव अंचल अधिकारी, पांकी द्वारा पारित आदेश अवैध है। अपीलार्थी का यह भी दावा है कि अंचल अधिकारी द्वारा दाखिल–खारीज किये जाने के पूर्व विपक्षी के विक्रेता के पुत्रों ने अपीलार्थी एवं उसके बच्चों के साथ मारपीट किया है, जिसका कम्पलेन केस न0– 1115/12 माननीय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, पलामू के न्यायालय में चल रहा है। यही नहीं इसी भूमि से सम्बंधित हिस्सा प्राप्त करने के लिए सहाबुद्दीन मियां एवं 26 अन्य लोगो ने व्यवहार न्यायालय में बंटवारा वाद संख्या–54/12 दायर किया है, जो अभी लंबित है। अपीलार्थी का दावा है कि अंचल अधिकारी ने उपर्युक्त बिंदुओं पर बिना विचार किये ही विपक्षी के नाम से दाखिल–खारीज आदेश पारित किया है, जो विधिसंगत नहीं रहने के कारण निरस्त किये जाने के योग्य है।

दूसरी ओर विपक्षी का दावा है कि अपीलार्थी का यह अपील वाद चलने योग्य नहीं है क्योंकि अपीलार्थी के पति रउफ अंसारी ने खाता न0–83, प्लॉट न0– 2114 में रकबा–0.04 एकड़ भूमि रियासत मियां से केवाला संख्या–4829, दिनांक 04.05.2013 के माध्यम से क्रय किया है, जिससे विपक्षी का लेना–देना नहीं है। विपक्षी का दावा है कि उसने संतुलन बीबी जौजे स्व0 रियासत मियां से खाता न0–83, प्लॉट न0–2115, रकबा–0.03 एकड़ भूमि निबंधित केवाला संख्या–10842, दिनांक 14.12.2013 के माध्यम से क्रय किया है और शांतिपूर्ण ढंग से घर बनाकर सपरिवार रहते आ रहा है। विपक्षी का कहना है कि अपीलार्थी द्वारा यह दावा किया जाना कि रियासत मियां ने अपीलार्थी

(6)

के पति को खाता न0–83, प्लॉट न0–2115 में मौखिक रूप से भूमि दे दिया था, बिल्कुल गलत है। विपक्षी का दावा है कि अंचल अधिकारी ने हल्का कर्मचारी से जांच प्रतिवेदन प्राप्त कर आम इश्तेहार का प्रकाशन कराने तथा अपीलार्थी द्वारा किसी प्रकार का आपति दर्ज नहीं किये जाने के बाद ही दाखिल–खारीज आदेश पारित किया है, जो बिलकुल सही है एवं दाखिल–खारीज के नियमों के अनुरूप है, जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना न्यायोचित नहीं है।

निम्न न्यायालय का मूल अभिलेख एवं अभिलेख के साथ संलग्न हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक का जांच प्रतिवेदन तथा कागजात का अवलोकन किया। विपक्षी ने संतुलन बीबी जौजे रियासत मियां से निबंधित केवाला संख्या–10842, दिनांक 14.12.2013 के माध्यम से प्रश्नगत भूमि क्रय की है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के जांच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अन्य मांगधारियों के साथ विपक्षी के विक्रेता संतुलन बीबी के नाम से जमाबंदी चल रही है तथा प्रश्नगत भूमि पर विपक्षी का दखल–कब्जा है, जिसकी सम्पुष्टि मांगधारी जरूफ अंसारी एवं अन्य एवं वहां के स्थानीय मुखिया द्वारा की गयी है। दाखिल–खारीज के लिए महत्वपूर्ण बिंदु विक्रेता की जमाबंदी एवं दखल–कब्जा ही है। यह भी स्पष्ट होता है कि दाखिल–खारीज आदेश पारित करने के पूर्व आम इश्तेहार का प्रकाशन कराया गया है तथा अपीलार्थी द्वारा दायर आपति पत्र पर विचार भी किया गया है। स्पष्ट है कि अंचल अधिकारी, पांकी द्वारा पारित आदेश दाखिल–खारीज के नियमों के अनुकूल है, जिसमें हस्तक्षेप करने का कोई विधिक आधार नहीं है।

अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में दाखिल–खारीज वाद संख्या–328/2014–15 में अंचल अधिकारी, पांकी द्वारा दिनांक 06.09.2014 का पारित आदेश बहाल रखा जाता है। अपीलार्थी का अपील –आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

04.05.16

उप समाहर्ता, भूमि सुधार,
सदर, मेदिनीनगर।

04.05.16

उप समाहर्ता, भूमि सुधार,
सदर, मेदिनीनगर।